"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2007—पौष 15, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आर. एस. वर्मा आत्मज श्री गंगा राम वर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी राधा कृष्ण मंदिर के पास, सुभाष चौक, भिलाई-3, तह. पाटन ज़िला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री कुमारी वर्षा वर्मा जिसकी जन्म तिथि 9-4-1990 है का नाम परिवर्तित कर कुमारी राजश्री वर्मा रख लिया हूं तथा इसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मेरी पुत्री को कुमारी राजश्री वर्मा पिता आर. एस. वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कुमारी वर्षा वर्मा आत्मजा-श्री आर. एस. वर्मा निवासी-राधा कृष्ण मंदिर के पास सुभाष चौक, भिलाई-3 तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)	कुमारी राजश्री वर्मा आत्मजा-श्री आर. एस. वर्मा निवासी-राधा कृष्ण मंदिर के पास सुभाष चौक, भिलाई-3 तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक पंजीयक, न्यास बिलासपुर (छ. ग.)

प्ररूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

पंजीयक, लोक न्यास बिलासपुर जिले के समक्ष

क्रमांक क/अ. वि. अ./वा-1/06.—चूंकि शनि मंदिर ट्रस्ट विकास समिति-चिल्हाटी, बिलासपुर, निवासी चिल्हाटी तहसील बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22-1-2007 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं संजय अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 22-12-2006 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम एवं संपत्ति का वर्णन)

(1)	लोक न्यास का नाम	:	शनि मंदिर ट्रस्ट विकास समिति, ग्राम-चिल्हाटी, जिला-बिलासपुर
(2)	चल सम्पत्ति	:	निरंक
(3)	अचल सम्पत्ति	:	ग्राम-चिल्हाटी, प. ह. नं. 19, तहसील बिलासपुर में भूमि ख. नं. 267/1 में से 10.00 एकड़ भूमि.

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
लोक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.